

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 20(1)साप्र / 2/14

जयपुर, दिनांक :— ७ OCT २०१६

—: आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में 'एफ'-टाईप श्रेणी (स्वतंत्र) की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं:—

क्र.सं	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्री नंद किशोर कुमावत लैब टेक्नीशियन अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जीव रसायन इमरजेंसी लैब, जयपुर	एफ-187, गांधीनगर (4/67, गांधीनगर के स्थान पर)	31.1.2038	283
2	श्री सत्येन्द्र कुमार नर्स ग्रेड-गा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-86, गांधीनगर (4/95, गांधीनगर के स्थान पर)	31.3.2042	313
3	श्री राम शर्मा कनिष्ठ लिपिक निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	एफ-45, गांधीनगर (4/29, गांधीनगर के स्थान पर)	31.12.2025	315
4	श्री शिवराम सिंह कनिष्ठ लेखाकार निदेशक, कृषि निदेशालय, जयपुर,	एफ-67, गांधीनगर (4/20, गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2027	321
5	श्री इकरामुद्दीन बेग नर्स ग्रेड-गा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-119, गांधीनगर (4/80, गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2045	322
6	श्री पुष्कर राज सबल नर्स ग्रेड द्वितीय अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-402, गांधीनगर (4/66, गांधीनगर के स्थान पर)	31.1.2041	324
7	श्री राजू सिंह सोलंकी नर्स ग्रेड-गा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-186, गांधीनगर (4/51, गांधीनगर के स्थान पर)	30.6.2038	326
8	श्री महेश कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	एफ-191, गांधीनगर (4/53, गांधीनगर के स्थान पर)	31.10.2030	327
9	श्री देशराज मेहन्दीरत्ता वाहन चालक नियंत्रक मोटर गैरेज विभाग, राजस्थान, जयपुर	एफ-183, गांधीनगर (4/132, गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2029	328

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।


4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
 8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदय की आङ्गा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर।
5. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
6. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
8. निदेशक, कृषि निदेशालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. अधिशाषी अभियन्ता, साठे निर्माण विभाग—खण्ड—तृतीय/जन स्वास्थ्य अभियन्ता विद्युत वितरण निगम लिंग गौधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
14. सम्बन्धित कर्मचारीगण को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द करवाते हुए इस विभाग को सूचित करवावें।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।


(राजकुमार शर्मा)
सहायक शासन सचिव